अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल । वाद सं0- 509/11 04/12 धारा- 145 द0प्र0सं0 87/2013 जितेन्द्र यादव बनाम गिरजा यादव, वगैरह	
01/04/2013	आदेश उभय पक्ष को सुना । उक्त वाद की कार्यवाही प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में पुन: प्रारम्भ किया गया है । उभय पक्ष सूचना प्राप्ति उपरान्त न्यायालय में उपस्थित हुए । ~~और~~ प्रथम पक्ष ब्यान-तहरीर प्रस्तुत किये, लेकिन द्वितीय पक्ष धारा- 145(5) द0 प्र0 सं0 के तहत आवेदन दाखिल कर कार्यवाही समाप्त करने का आग्रह करते हैं । अपने आवेदन में कहते हैं कि प्रश्नगत भूमि पर सब जज-1 • जहानाबाद के न्यायालय में हकियत वाद सं0- 14/08 दुर्गेश्वर प्रसाद सिंह बनाम गदाधर प्रसाद साह वगैरह विचाराधीन है, जिसमें उक्त वाद में प्रथम पक्ष के सदस्य जितेन्द्र यादव	

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

वगैरह विपक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित भी हो चुके हैं । प्रमाणस्वरूप हीक्यत वाद के अभिलेख का आदेश फलक की प्रति अभिलेख में दाखिल होना बताये ,जिसे देखा ।

अग्रेतर यह भी कहते हैं कि प्रश्नगत भूमि पर पूर्व में हीक्यत वाद संचालन के पहले धारा-145 द0 प्र0 सं0 भागीरथ प्रसाद बनाम मानबोध सिंह का संचालन हुआ था,जिसमें पारित आदेश के विरूद्ध युगेश्वर सिंह(द्वितीय पक्ष) जिला एवं अन्य न्यायाधीश, जहानाबाद के न्यायालय में क्रिमिनल रिविजन नं0-11/05 दाखिल किये,जिसमें अतिरिक्त जिला एवं अन्य न्यायाधीश एफ॰टी॰सी॰-III॰जहानाबाद द्वारा विगत 04/ 09/ 2006 को धारा-145 द0 प्र0 सं0 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए अभिलेख को श्रीमान् के न्यायालय में रिमाण्ड किया गया है जिसपर अभी तक कोई विचारण नहीं

आदेश की क्रम--संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

हुआ तथा पुन: हीक्यत वाद विचाराधीन रहने के बावजूद उक्त कार्यवाही का संचालन हो रहा है जो विधि- सम्मत नहीं है। इसलिए वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाय।

प्रथम पक्ष से धारा- 145 (5) द0 प्र0 सं0 के आवेदन पर प्रतिउत्तर की माँग किया गया ,लेकिन बार- बार मौका देने के बाद भी प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किये । इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा रखा गया तथ्य सही है ।

अतएव वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है क्योंकि हीक्यत वाद के विचाराधीन रहते वाद का विचारण न्यायालय के बहुमूल्य समय की बर्बादी है ।

आदेश से विद्व अधिवक्ता को अवगत करावें ।

लेखापित एवं संशोधित

कार्य0 दण्डाधिकारी, अरवल । — कार्यपालक दण्डाधिकारी, अरवल ।

चिरकुट सं0 116 दिनांक 14/5/2013